

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-1040 / 14

संस्थापन दिनांक:-27 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504002142014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

गगन पिता कमल कसार, उम्र 20 वर्ष,
निवासी कसारी मोहल्ला आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 22.12.2014 को दोपहर 01:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 22.12.2014 को प्रधान आरक्षक मंगलमूर्ति को जरिए टेलीफोन पर सूचना मिली कि पीर मंजिल चौक आमला में गगन कसार हाथ में लोहे की गुप्ती तहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की गुप्ती लहराते हुए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा गुप्ती रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे की गुप्ती जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 1064/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.12.2014 को दोपहर 01:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 22.12.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ पीर मंजिल आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की गुप्ती लहराते मिला। अभियुक्त द्वारा गुप्ती रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की गुप्ती जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 1064/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-6) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 को वही लोहे की गुप्ती होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 जाकिर खान (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह दिनांक 22.12.2014 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हेड साहब मंगलमूर्ति को भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर वह उनके साथ पीर मंजिल चौक आमला गया था जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे की गुप्ती लहराते हुए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़कर उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम गगन कसार बताया तथा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताया जिस पर हेड साहब ने आरोपी से मौके पर ही एक गुप्ती जप्त की थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर मौके पर लिखा पढ़ी कर थाने लेकर आये थे।

7 सोनू (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं

उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी सोनू (अ.सा.-1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) एवं जाकिर खान (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर पीर मंजिल में जाना एवं गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की गुप्ती जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जाकिर खान (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में मंगलमूर्ति जी के साथ मौके पर जाना और मौके पर हेड साहब मंगलमूर्ति के द्वारा अभियुक्त से गुप्ती जप्त करना और उसे गिरफ्तार करना बताया है।

10 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती पत्रक में नमूना सील थाने में आकर लगायी गयी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद थाना आकर अपराध दर्ज किया गया था। इस सुझाव को सही बताया है कि मौके पर शून्य पर कायमी होती है। स्वतः कहा कि मौके पर फोन से अपराध क्रमांक की जानकारी ले ली गयी थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मौके पर किसी ने भी यह नहीं बताया था कि अभियुक्त छुरी लेकर लोगों को डरा रहा था। जाकिर खान (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पीर मंजिल के पास पुलिस थाना आमला का सिपाही तैनात रहता है जो कि पुलिस का पाइंट है।

11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त दस्तावेज जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नापजोप किससे की गयी थी और जप्तशुदा आयुध धारदार है अथवा नहीं और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) के कथनों से प्रकट हो रहा है। नमूना सील भी साक्षी ने थाने पर आकर लगाया जाना बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा

आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया हो।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.12.2014 को दोपहर 01:30 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल चौक आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार गुप्ती जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त गगन को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार गुप्ती अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)